रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112023-250264 CG-DL-E-25112023-250264

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4825]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945
No. 4825]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

## श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

का.आ. 5034(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 दिसम्बर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध, अर्थात्:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73;
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4), धारा 80, धारा 82 और धारा 83

उत्तर प्रदेश राज्य के एटा, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे।

[फा. सं. एस-38013 / 18 / 2023-एसएस-I]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

7323 GI/2023 (1)

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2023

- **S.O. 5034(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of December, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely:-
  - (i) sections 38 to 43 and section 45A to section 45H of Chapter IV;
  - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
  - (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and section 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Etah, Lakhimpur Khiri and Balrampur districts in the State of Uttar Pradesh.

[F. No. S-38013/18/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser